सहायक [illegible] (मु०) [illegible]
मुण्डावर

०४/७/२५

पगावती पेमा / व पीता [illegible] उमेश
द्वारा पगास्वीकार [illegible] है निरस्त
निर्णय [illegible] से [illegible] जांच पगावती
[illegible] पगावती [illegible]
[illegible] के नम्बर में [illegible] पगावती
[illegible] [illegible]

सहायक कलेक्टर (मु०)
मुण्डावर

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
673 / 2020	29.10.2020	02.07.2025

उनवान

1 लालचन्द पुत्र श्री भोमाराम जाति चमार निवासी ततारपुर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0।

प्रार्थी / वादी

बनाम

1 श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राजस्थान।

–: असल अप्रार्थी / प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री अनिल यादव :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आराजी ख0न0 1959 रकबा 0.80 हैक०, वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा, राज० में स्थित है, जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. यह है कि मिन प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है, गांव में मिन प्रार्थी को घर परिवार वाले और आस पास के लोग रामचन्द्र भी कहते थे, और लालचन्द भी कहते थे, और माता पिता भाई बहन भी रामचन्द्र भी कहकर पुकारते थे, बोलते थे, और लालचन्द भी कहकर बोलते थे, अर्थात् मिन प्रार्थी को दोनो नाम से जाना जाता था।
3. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन प्रार्थी का नाम रामचन्द्र गलत दर्ज हो गया, जबकि मिन प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम लालचन्द है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, क्योकि मिन प्रार्थी का रिकोडेर्ड व पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजो में नाम लालचन्द दर्ज है, इसलिये उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में नाम रामचन्द्र की जगह लालचन्द किया जाना आवश्यक है, जिस हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश है।
4. यह है कि मिन प्रार्थी का निर्वाचन पहचान पत्र और राशनकार्ड वगैरा सभी लालचन्द के नाम से बने है, तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में नाम रामचन्द्र दर्ज चला आ रहा है।

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

5. यह है कि उक्त विवादित आराजी में राजस्व रिकोर्ड में रामचन्द्र नाम दर्ज होने से मिन प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है, मिन प्रार्थी को अपनी आराजी पर लोन आदि लेने में परेशानी का सामना करना पड रहा है। जबकि मिन प्रार्थी के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है इसलिऐ अपने अधिकारो की रक्षार्थ हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश है, और मिन प्रार्थी उक्त विवादित आराजी में प्रार्थी के नाम रामचन्द्र की जगह लालचन्द कराने का अधिकारी है।

6. यह है कि मिन प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार लिखित और मौखिक तौर पर राजस्व रिकोर्ड में दुरूस्त कर रामचन्द्र पुत्र भोमा के स्थान पर लालचन्द पुत्र भोमाराम किये जाने के लिये निवेदन किया, लेकिन बार बार कहने पर भी अप्रार्थी ने दुरूस्त करने का आश्वासन देते रहे और अब दिनांक 20/2/2019 को प्रतिवादी ने स्पष्ट मना कर दिया कि अदालत से आदेश लेकर आवो, इसलिए तुरन्त ही प्रार्थना पत्र श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :-

- अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।
- यह करार दिया जावे कि उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी ख०न० 1959 रकबा 0.80 हैक०, वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा, राज० में मिन प्रार्थी को राजस्व रिकोर्ड में रामचन्द्र पुत्र भोमा के स्थान पर लालचन्द पुत्र भोमाराम दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किया जावे। आदेश दिये जावे।।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार से है कि लालचन्द पुत्र भोमा का ना इनके पिताजी भोमा पुत्र भूरू की विरासत ना0 सं0 1230 में लालचन्द की जगह रामचन्द कर दिया गया जबकी सही नाम लालचन्द है। अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं सलग्न दस्तावेजात खसरा नम्बर 1959 रकबा 0.80 है0 में रामचन्द के बजाय लालचन्द किया जाना उचित होगा।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत का लेटर पेड, पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, शपथ पत्र, जमाबन्दी सम्वत 2071-74, हल्का पटवारी की रिपोर्ट, जमाबन्दी सम्वत 2067-70, नामान्तकरण, आधार कार्ड, मिलान क्षेत्रफल पेश की।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के रिकोर्ड में रामचन्द पुत्र भोमा राजस्व रिकोर्ड दर्ज है, जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का दस्तावेजी सही नाम लालचन्द पुत्र भोमाराम है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर रामचन्द्र पुत्र भोमा के स्थान पर लालचन्द पुत्र भोमाराम दर्ज किया जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पुत्र भोमा ना होकर लालचन्द पुत्र भोमराम है। तहसीलदार

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर (का०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मुण्डावर ने भी रामचन्द्र के स्थान पर लालचन्द किया जाना उचित माना गया है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि विवादित आराजी ख०न० 1959 रकबा 0.80 हैक्०, वाके ग्राम ततारपुर तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज० के राजस्व रिकॉड में दर्ज रामचन्द्र पुत्र भोमा को कलमजन कर प्रार्थी लालचन्द पुत्र भोमाराम के नाम का राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर (मा०प्र०)
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0